



Neutral Citation No.-2026:AHC:9111

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-35736 वर्ष 2024

पूजा विश्वकर्मा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अरविंद कुमार कुशवाहा, पूजा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार कुशवाहा और श्रीमती पूजा और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरुण कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2023 के अपराध संख्या-94, भ०द०वि० की धारा 302, 201 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना-आदमपुर, जिला: वाराणसी में जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।
5. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि सूरज राजभर के एक व्यक्ति से मृतक के मोबाइल फोन की झूठी बरामदगी दिखाई गई है, और एक मनगढ़ंत कहानी स्थापित की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने आवेदक को सह-आरोपी के साथ ई-रिक्शा पर यात्रा करते हुए देखा था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक पर ई-रिक्शा की झूठी बरामदगी थोपी गई है, जिसे कथित तौर पर एक खुली जगह से बरामद किया गया दिखाया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि जिस स्थान से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किया गया था, वह शव की बरामदगी के स्थान से काफी दूरी पर है, इस तरह, अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी झूठी और मनगढ़ंत है। आवेदक 7.9.2023 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और मुकदमे में सहयोग करेगी।

7. ततस्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदक के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

9. आवेदक- पूजा विश्वकर्मा, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 13, 2026



सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।